लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत अल्मोड़ा के माह 04/2012 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री डी के मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज सिंह, पर्यवेक्षक, एवं श्री सौरभ कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10/06/2016 से 16/06/2016 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेत्तर

निरीक्षण आख्या **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. कार्यालय कि प्रथम लेखापरीक्षा हैं।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री धीरज सिंह कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी

5- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति मिम्नवत थी:-

dze la[;k	ys[kkijh{kk fujh{k.k izfrosnu la0@o"kZ	vfuLrkfjr izLrj	
		Hkkx&nks ^v*	Hkkx&nks ^c*
1.			
2.	प्रथम लेखापरीक्षा हैं।		
3.			
4.			

3. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य

4. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

5. सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि लाख में)

	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	67.93	NA	198.72099	NA
2014-15	103.95	71.60	193.06252	191.54
2015-16	107.22	84.70	206.46783	202.08

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 `25.00 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्तीय विभाग स॰ 177/XXXVII(7)2008 देहरादून दिनांक 1/05/2008 में जारी अधिसूचना अध्याय-2 सामग्री क्रम के संबंध में क्रम सं॰ 9 मे स्पष्ट कहा गया है कि ` 15000 से अधिक तथा `1,00,000 तक की लागत सीमा मे क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति संस्तुतियों पर किया जा सकता है तथा उससे अधिक मूल्य की लागत सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करके ही किया जा सकता है। पुन: उत्तराखंड शासन वित्तीय विभाग आदेश स॰ /XXVII(7)2008 देहरादून दिनांक15/06/2015 में जारी अधिसूचना में `1.00 लाख लागत के कार्यो को 3.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 3.00 लाख से अधिक मूल्य के कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करके ही पूर्ण कराना बताया गया हैं।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बोहरागाँव परियोजना की विभिन्न न्याय पंचायतों में भूकटाव/भूस्खलन से प्रभावित कार्यों की कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए राष्टीय कृषि विकास योजना में `25.00 लाख बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 12/04/2015 को उपलब्ध कराये गए थे, तत्पश्चात `30.00 लाख द्वीत्तीय किश्त दिनांक 16/10/2015 को प्राप्त करायी गयी थी। उक्त ` 25.00 लाख का व्यय श्रमांश एवं लागत सामग्री क्रय करने पर किया गया था जिस लागत सामग्री ` 843173.00 का व्यय दर्शाया गया है उसको निविदा आमंत्रित करके किया जाना था। जबकि व्यय कोटेशन प्राप्त करके किया गया था तथा अवशेष ` 1656827.00 दैनिक मजदूरी श्रमांश पर दर्शाया गया था। दैनिक श्रमिक चिठ्ठों में मजदूर हॉल निवासी थे। जबकि रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर उसी न्याय पंचायत के होने अनिवार्य थे। ताकि ग्रामीणो को रोजगार प्राप्त हो सके और गाँव से पलायन रुक सके। परन्तु ऐसा नहीं किया गया था जोकि भारत सरकार की गाइडलाइन्स के विरुद्ध था।

इस संबंध में पूछने पर बताया गया कि भविष्य में संबन्धित परियोजना के न्याय पंचायत से संबन्धित श्रमिकों को ही कार्य करने हेतु रखा जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड पिवयोरमेंट नियमावली 2008 के उल्लिखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए हीं लागत सामग्री/कार्य करायें जायेंगे।

विभाग का उत्तर संतोष जनक नहीं था क्योंकि राष्टीय विकास योजना संचालित करने का उदेश्य भारत सरकार का यही था कि रोजगार गारंटी के तहत मजदूरी उपलब्ध करायी जाएगी। इससे एक ओर कृषि की योजनाओं का क्रियान्वयन होगा तो दूसरी ओर हो रहे पलायन को रोजगार उपलब्ध कराने पर रोका जा सकेगा। परन्तु विभागीय लापरवाही से सरकार के उदेशयों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-1 ` 5.80 लाख ब्याज की धनराशि को राजकोष मे जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं॰-99/XXVII(14)/2009 दिनांक 3/09/2009 के द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानो , निकायों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल संबन्धित योजना मे उपयोग करने के बजाए विभिन्न बैंकों अथवा सावधी जमा खातों में अवरुद्ध रखा जाता हैं। शासन द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि यदि किसी विशिष्ट कारणों से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सकें तथा उसको बैंक खाते मे जमा करना आवश्यक हो जाता हो तो उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज की धनराशि को राजकोष के "प्राप्ति शीर्ष" मे चालान से अविलम्ब जमा कर देना चाहिऐ।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि RKVY योजनाओं में प्राप्त धनराशि को बैंक खाता सं॰ 002100100006692 "अल्मोड़ा अर्बन को-आपरेटिव बैंक" लि॰ अल्मोड़ा में रखा गया था जिस पर दिनांक 28/09/2012 से दिनांक 30/3/2016 तक कुल `5,80,297.00 ब्याज अर्जित हुआ था जोकि बैंक के खातों मे ही अवरुद्ध पड़ा हुआ था जबकि नियमानुसार इसको राजकोष मे जमा करना था, जैसाकि शासन के पत्रांक सं॰ में स्पष्ट था।

इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि संबन्धित बैंक खातों मे प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजस्व लेखा शीर्षक मे जमा करने के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त राजकीय कोष में चालान द्वारा जमा कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर संतोष जनक नहीं था क्योंकि इस संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जमा करने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश वर्ष 2009 में जारी कर दिये गए थे।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत अल्मोड़ा** को भेजा जाएगा, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II